न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या ::— 101 / 2013
1— उदीबाई बेवा दयाराम जी बलाई निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
2— लाली पुत्री दयाराम जी बलाई निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3— भगवानी पुत्री दयाराम जी बलाई निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
4— भैरू पुत्र दयाराम जी बलाई निवासी पारसोली तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1— ऐजन बेवा रामचन्द्र जी बलाई निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
2— उदा पुत्र हरलाल जी बलाई निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3— हगामीबाई बेवा हजारी लाल सालवी निवासी बिठलपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
4— श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगू जिला चितौडगढ़
5— राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
6— श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण
श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक ::—20.09.2023

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 88—53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री बिल्लू द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त की संयुक्त खातेदारी की पैतृक आराजीयात ग्राम पारसोली प.ह. पारसोली तह. बेगूँ जिला चितौडगढ़ में स्थित है, विवरण निम्न प्रकार से है:—

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
610	0.3500	0.88
611	0.5100	12.29
615	0.0400	0.52 / 0.24
1545 / 617	0.4700	11.33
किता—4	1.37 हैक्टर	[illegible] पैसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested

पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:—

हरलाल
फोत

दयाराम फोत — उदा

|

उदी बेगूँ — भैरूपुत्र — रामचन्द्र फोत — लाली पुत्री — भगवानी पुत्री

... वादी सं. 1 उदीबाई ... सं. 2 व 3 लाली व भगवानी पुत्रिया है। वादी सं. 4 भैरू पुत्र है। हिन्दू कानून के अनुसार हम वादीगण का उक्त आराजीयात में मौरूसी जायदाद पैतृक होने से पिता की सम्पत्ति में हक हिस्सा है। कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रत्येक वादी का 1/10 हक हिस्सा ही बनता है। ऐजन द्वारा अपने हक हिस्से बढकर अधिक हिस्से का बेचान प्रतिवादी सं. 3 को किया है जो विधि विपरीत है। हम वादीगण के प्रत्येक के हिस्से में 1/10 हक हिंस्से की खातेदारी घोषणा किये जाने हेतु यह वाद पत्र घोषणात्मक डिक्री जारी किये जाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है। बाद घोषणा हम वादीगण के हक हिस्से का विभाजन किया जाकर रेवेन्यू रेकार्ड में खाते अलग किये जाने हेतु भी यह वाद पत्र प्रस्तुत है। बाद विभाजन वादीगण के हक हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी रहन बेचान नहीं करें इस हेतू प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 तक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु भी यह वाद पत्र प्रस्तुत है, क्यो कि उक्त तीनों प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को विक्रय करने पर आमादा है।

यह कि हम वादीगण को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु रेवेन्यु रेकार्ड लेने पर हमारा नाम खातेदारी में वर्तमान जमाबंदी में नहीं होने की जानकारी दिनांक 01.08.2013 को हुई, वाद कारण दिनांक 01.08.2013 को रेवेन्यू रेकार्ड की जानकारी होने के कारण पैदा हुआ है।

यह कि भूमिधारी तहसीलदार साहब आवश्यक पक्षकार होने से एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगए राज्य के प्रतिनिधि होने से प्रकरण में पक्षकार बनाये गये है। भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ के भैरू व उदा का हिस्सा पर ऋण लिये जाने से शाखा प्रबन्धक जी को भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। पत्रावली में 80(2) जा.दी. का नोटिस दिया गया है।

यह कि वर्णित कृषि भूमि का विभाजन नहीं हुआ है बिना विभाजन हुए प्रत्येक अंशधारी का प्रत्येक अंश पर जाने का अधिकार है बिना विभाजन किये अपने अंश से अधिक का बिकाव कानूनन शून्य है। बिना विभाजन किये अजनबी पर्सन को किया बिकाव विधि विपरीत होकर अवेध तथा शून्य है। इसी कारण ऐजन द्वारा किये गये बिकाव को कानून विरूद्ध शून्य मानते हुए हम वादीगण के प्रत्येक 1/10 हक हिस्से की घोषणा किये जाने हेतू यह वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री जारी फरमायी जावेः–

क– कि ऐजन बेवा रामचन्द्र कें द्वारा हगामी पत्नी हजारीलाल सालवी को किये गये बेचान को कानून विरूद्ध व शून्य मानते हुए हम वादीगण सं. 1 से लगाकर 4 तक के प्रत्येक के 1/10 हक हिस्से की घोषणा की जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जावें।

ख– कि बाद घोषणा हम वादीगण के प्रत्येक 1/10 हक हिस्से का विभाजन (बंटवाडा) किया जाकर रेवेन्यू रेकार्ड में खाते अलग किये जाने की डिक्री फरमायी जावे, लगान का भी इसी अनुसार बंटवाडा किया जावें।

ग– कि बाद विभाजन हम वादीगण के हक हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी नौकर मजदूर रिश्तेदार ऐजेन्ट से करावें। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

घ– कि वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी वादीगण को प्रतिवा[illegible] दिलाया जावें।

ङ– कि अन्य कोई दाद जो सुलभ वादीगण हो वा[illegible] को प्रदान [illegible] जावें।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश सोनी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested

तुत किया गया। ... पत्रावली ...
फा कार्यवाही के आदेश न्यायालय में दिये गये। पत्रावली ...
वाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजीयात में मुझ प्रतिवादीया का 1/4 स्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है व उसी अनुसार मैं मौके पर काबिज हूँ। वादी ने गलत थ्य अंकित कर मुझ प्रतिवादीयां के कोई औलाद नहीं होने से जबरन जमीन को हडपने की नयत से एवं परेशान करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वाद पत्र की अन्य कलम अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 13 गलत होने से अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी । अपने पैत्रिक सम्पत्ति में निहित हक हिस्सा जो रेकार्ड में दर्ज है को विक्रय किया है किसी कार का कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर दावा सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 उसके निहित हक हिस्सा कब्जे काश्त की आराजीयात जो मौजा पारसोली में स्थित है दर्ज रेकार्ड हिस्से के अनुसार ऐजनबाई के हक हिस्से की भूमि का ही क्रय किया है। उसके अधिक की भूमि क्रय नहीं की है। जो कानूनन ऐजनबाई को विक्रय करने का अधिकार है। वादीगण ने महज प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने वा पत्र की सभी कलम को अस्वीकार कर अपने जवाबदावा के विशेष कथन में निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या एक से रेकार्ड में निहित हक हिस्सा व मौके पर कब्जे के आधार पर आराजीयात को क्रय किया है। प्रतिवादी संख्या एक ने अपने निहित हक हिस्से का ही विक्रय किया है। वादीगण ने 1/10 हिस्सा गलत दर्शा कर वाद पत्र पेश किया है जो कानूनन गलत होने से खारिज होने योग्य है। यह कि वादीगण उक्त आराजीयात को मुझे जबरन परेशान कर हडपना चाहते है इसलिए महज परेशान करने की नियत से गलत वाद पत्र पेश किया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में वाद पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात निम्न लिखित तनकी कायम की गई :–

1– आया कि ऐजन बेवा रामचन्द्र द्वारा हगामी पत्नि हजारीलाल साल्वी को किए गए बैचान कानूनन विरूद्ध होनेसे शुन्य मानते हुए वादीगण 1 से 4 तक 1/10 हिस्से की घोषणा कराने व बाद घोषणा विभाजन कराने तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण

2– आया कि प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज होकर उसी अनुसार प्रतिवादी काबिज है। वादीगण का वाद पत्र गलत हो खारिज होने योग्य है?

3– दादरसी?

वाद पत्र में तनकी कायम किए जाने के पश्चात साक्ष्य वादीगण में भैरूलाल व भगवानी के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए , अधिवक्ता प्रतिवादी ने भैरूलाल पुत्र दयाराम से जिरह दिनांक 16.07.2019 को करते हुए उनके बयान कलमबद्ध कराए भैरूलाल ने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदश कराया। गवाह भगवानी से दिनांक 02.12.2019 को जिरह अधिवकता प्रतिवादी द्वारा की जाकर उनके बयान ... कराए। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र हगामी ब... बेवा हजारीलाल का प्रस्तुत किया जिनसे अधिवक्ता वादीगण ने जिरह कर... प्रतिवादीया ... कलमबद्ध करा प्रतिवादी साक्ष्य पूर्ण की गई । पत्रावली में वादीगण ... की साक्ष्य पूर्ण होने पर दावा अ0धा0 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर ... उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस वाद पत्र अनुसार करते हुए दावा स्वीकार कर वादीगण का हिस्सा 1/10 घोषित कर उसी अनुसार विभाजन कराए जाने का निवेदन करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया हगामी बाई ने अपने निहित हक हिस्सा जो रेकार्ड मे अंकित था उसका सही पंजीकृत विक्रय किया गया है। अपने हक हिस्से से अधिक का विक्रय नहीं किया है।

बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया , जिनके अनुसार पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1–तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2072–75 में अंकित आराजी संख्या 610, 611मी., 615, 1545/617 कुल किता–4 कुल रकबा 1.37 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री भैरू पिता दैराम 1/4 उदा पिता हरलाल बलाइ 1/2, हगामीबाई पत्नि स्व. हजारीलाल सालवी 1/4 हिस्सा दर्ज अंकित होना पाया गया है। यह जमाबंदी प्रदर्श –1 है। नकल जमाबंदी में वादी संख्या 1,2 व 3 का नाम दज्र नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई है का अवलोन किया गया उक्त नामान्तरण संख्या 541 दिनांक 15.08.1991 को नायब तहसीलदार द्वारा दयराम के फोत होने के पश्चात दयाराम क वारिसान भैरूलाल रामचन्द्र पिता दयाराम मु. उदीबाइ बेवा दयराम खोला गया था। किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सं. 2072–75 व छायाप्रति नकल जमाबंदी सं0 2068–71 में वादीया का नाम अंकित नहीं है। और वादीया ने अपने वाद पत्र में यह तथ्य कही अंकित नहीं किया है कि जमाबंदी में वादी सं. 1,2 व 3 का नाम क्यो अंकित नही किया गया है, जबकि नामान्तरण संख्या 541 में विरासत से वादी सं. 1 का नाम अंकित हैएवं वादी सं.2 व 3 का विरासत से नामा.सं. 541 में क्यो अंकित नहीं किया यह तथ्य भी वादीया ने स्पष्ट नहीं किया है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–2 पर्चा मौका ग्राम पंचायत पारसोली में दिनांक 09.06.2016 के अनुसार मृतक दयाराम पिता हरला बलाई के पुत्र भैरूलाल रामचन्द्र तथा पुत्री लाली भगवानी तथा पत्नि उदीबाई बताया गया है जबकि इसी प्रकरण में प्रस्तुत छायाप्रति कार्यालय ग्राम पंचायत पारसोली द्वारा दिनांक 29.07.1991 को जारी प्रमाण पत्र में दयराम पुत्र हरला बलाई की मृत्यु हो चुकी है। उसके पुत्र भैरू पुत्र दयाराम , रामचन्द्र पुत्र दयाराम है जिनका नाम इस पचांयत द्वारा जारी किये गये राशनकार्ड नं. 249 वर्ष 1989–1990 में सम्मिलित है का अंकन किया हुआ है। एक ही ग्राम पंचायत कार्यालय से मृतक दयाराम के वारिसो के लिए भिन्न भिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी एक विचारीणय प्रश्न है? प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 ऐजन बेवा रामचन्द्र के द्वारा हगामी पत्नि हजारी सालवी को किये गये बेचान को कानून विरूद्ध शुन्य मानते हुए हम वादीगण सं. 1 से लगाकर 4 तक प्रत्येक के 1/10 हक हिस्से की घोषणा की जाने की दाद चाही गई है प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबिंदी सं. 2068–71 अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 1307 दिनांक 20.06.2012 बेचान से एजन पत्नि रामचन्द्र 1/4 के बजाय हगामी बाई पति स्व. हजारीलाल सालवी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबंदी खाता अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना 1/4 हक हिस्से का ही बेचान दिनांक 20.06.2012 को किया है जबकि वाद पत्र दिनांक 19.08.2013 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ऐजनबाई द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा बेचान किया है जिसके कारण ही प्रतिवादी हगामी का नाम खाते में दर्ज हुआ है। पत्रावली अवलोकन एवं दस्तावेज के अवलोकन अनुसार वाद पत्र के प्रस्तुत होने से पूर्व ही प्रतिवादी खातेदार ऐजनबाई द्वारा अपने हक हिस्से का बेचान कर दिया गया जबकि पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त किए जाने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जबकि वाद यदि किसी प्रकार का विक्रय हो जाता है तो उसे सुने जाने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह तनकी नं01 दस्तावेज साक्ष्य अनुसार वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः तनकी नं0 1 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested

2—तनकी नं02 का निर्णय ::—

इस तनकी को सिद्ध कराने क भार प्रतिवादीगण का , वैसे भी पत्रावली में कायम तनकी नं0 1 वादीगण के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत से निर्णित हुई है, प्रतिवादीगण का जवाब दावा सही होकर तनकी नं0 1 के निर्णय अनुसार सिद्ध हो जाता है, चूँकि खातेदार ऐजनबाई द्वारा रेकार्ड में अंकित अपने हक हिस्से का ही पंजीकृत विक्रय किया गया है जबकि पंजीकृत विक्रय विलेख जो कि वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व का है उसे जब तक साक्ष्यम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक उसके गुण अवगुण पर कोई विचार इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तनकी नं0 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी नं0 1 व 2 दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से वादीगण का वाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः वाद पत्र वादीगण अ0धा0 88—53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ